न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 13 / 2024 / जैसलमेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. अचलाराम पुत्र कुम्भाराम 2. पेमाराम पुत्र कुम्भाराम जातियान जाट निवासी रातडिया पार्ट 2 तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर		1. सवाईराम पुत्र हिन्दूराम जाति जाट निवासी मूलासर रातडिया तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 2. गोपाराम पुत्र चुतराराम 3. दलाराम पुत्र चुतराराम 4. धर्माराम पुत्र चुतराराम 5. श्रावताराम पुत्र चुतराराम 6. असूदेवी पत्नी धर्माराम 7. गवरी पत्नी निम्बाराम 8. तुलछाराम पुत्र निम्बाराम 9. सुजाराम पुत्र निम्बाराम 10. लक्ष्मी पुत्री निम्बाराम 11. नकताराम पुत्र राणाराम 12. धन्नाराम पुत्र चौथाराम 13. देवाराम पुत्र सोनाराम 14. अचली पत्नी सोनाराम 15. चन्दाराम पुत्र सवाईराम 16. बाबूराम पुत्र सवाईराम 17. देवीराम पुत्र सवाईराम 18. भंवराराम पुत्र सवाईराम 19. पारू पत्नी अचलाराम का.मु. 19/1नराराम पुत्र अचलाराम 19/2बाबूराम पुत्र अचलाराम 19/3आवडराम पुत्र अचलाराम 19/4चैनाराम पुत्र अचलाराम 20. पुरखाराम दत्तक पुत्र कानाराम 21. भीखों पत्नी पेमाराम 22. रूपों पत्नी खेताराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	23. सवाईराम पुत्र देदाराम 24. माधाराम पुत्र कुम्भाराम 25. विशनाराम पुत्र हरनाथराम जाति जाट निवासी मूलासर, रातड़िया तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 26. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पोकरण 27. बैंक ऑफ बडौदा शाखा पोकरण 28. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फलसुण्ड 29. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजमथाई 30. त्हसीलदार भणियाणा जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 34/2022 बअनवान सवाईराम बनाम गोपाराम वगेरा में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री गुलाबसिंह चम्पावत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—22.01.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम मूलासर पटवार क्षेत्र रातड़िया तहसील भणियाणा में खेत खसरा संख्या 86 का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाड़ौस के खेत खसरा संख्या 79, 801/76, 803/76 व 60 में से ही आ जा सकते है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आ जा सकते है जिसका उपयोग कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदाता संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 86 प्रस्तावित रास्ते से पूर्व ही डामर सड़क से जुड़ा हुआ है जो सरकारी विद्यालय के पास से होता हुआ उतरदाता संख्या 1 के खेत से जुड़ता है इस प्रकार प्रार्थी/उतरदाता को किसी प्रकार की रास्ते की आवश्यकता नहीं है तथा उतरदाता का खेत पहले से ही रास्ते से जुड़ा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा तथा पत्रावली विप्रार्थीगण/अपीलांटस का जबाव लिये बिना व अपीलांटगण की बहस को सुने बिना पुरानी मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशों का पालन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। आर आई ने मौका रिपोर्ट उतरदाता संख्या 01 से मिली भगत कर एकपक्षीय रूप से तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटगण को पूर्व में इस आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु वर्तमान में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर अपीलांट को रास्ते हेतु प्रतिकर की राशि धामी गई, साथ ही पटवारी के साथ प्रार्थी ने मौके पर आकर अपीलांटगण के खेत में से जबरन रास्ता निकालने हेतु प्रयासरत हुए जिस पर अपीलांटगण ने मना किया तो उतरदाता ने धमकी दी कि हमने आपके खेत में से जबरन रास्ता निकाल लिया है तथा अब मौके पर रास्ता निकालेंगे जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की दिनांक 29.11.2024 को नकले प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव दावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थी/उतरदाता की आराजी भूमि तक आवागमन हेतु मौके पर सड़क होने के कथन किये गये है उक्त आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण किये बिना तथा उनके द्वारा सुझाये गये रास्ते के विकल्प के संबंध में मौका फर्द तलब किये बिना अपीलांट की खातेदारी भूमि में से अपीलाधीन रास्ता प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इन परिस्थितियों

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील को रिमाण्ड करने योग्य ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 34/2022 बअनवान सवाईराम बनाम गोपाराम वगेरा में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 को निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों बाबत उभय पक्ष की उपस्थिति में विस्तृत मौका फर्द तलब कर विधि के समस्त प्ररिप्रेक्ष्य में मामले का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर